यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

।.

उनवान

1. गोपाल पुत्र छीतर,
2. बाबूलाल पुत्र छीतरमल,
3. रामधन पुत्र छीतर,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र शिवदयाल
2. ओमप्रकाश पुत्र शिवदयाल
3. कैलाश पुत्र छोटू
4. कानी देवी पत्नी जयनारायण
5. गणेश पुत्र नाथूराम
6. जयनारायण पुत्र नाथूराम
7. पप्पू पुत्र जयनारायण
8. मुकेश पुत्र जयनारायण
9. राजू देवी पत्नी शिवदयाल
10. रामकिशोर पुत्र छोटूराम
11. रामलाल पुत्र नाथूराम
12. लाडा देवी पत्नी नाथूराम
13. शंकरलाल पुत्र नाथूराम
14. सुमन देवी पुत्री जयनारायण
15. सुरजमल पुत्र जयनारायण
16. सुशीला देवी पुत्री जयनारायण
17. सीता देवी पुत्री शिवदयाल
18. हनुमान पुत्र नाथूराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत दिलवाये जाने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:53:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 20.10.2023

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम नांगलभरडा, पटवार हल्का नांगलभरडा, भू.अभि. नि. क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 42[illegible] में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1905 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1927 रकबा 3.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1930 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1931 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1932 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1933/2898 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1935 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1936 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 4.75 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खाता संख्या 425 में वर्णित खसरा नम्बर 1937 रकबा 1.02 हैक्टेयर कुल

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

ता 1 का कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1927 में अपने रहवास हेतु उत्तरी ओर पुख्ता मकानात, पशुधन के लिए टीनशेड बना रखे है तथा अपने परिवार सहित निवास करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थीगण की भूमि के उत्तरी दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 18 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1947 के उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर रोड रास्ता जो कि नांगलभरडा से बरवाडा की तरफ जाती है, स्थित है उक्त रोड रास्ता के दक्षिणी दिशा में लगवा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 18 की भूमि खसरा नम्बर 1947 स्थित रही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 18 की भूमि खसरा नम्बर 1947, 1925 की पूर्वी सीमा के लगते हुए प्रार्थीगण की भूमि में जाने का सुलभ रास्ता है जिसे संलग्न नक्शे में ए से बी मार्क से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि के आस–पास कोई अन्य रास्ता या रास्ते का विकल्प मौजूद नही है। प्रार्थीगण को रास्ते के अभाव में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण की भूमियां उक्त वर्णित में आने–जाने का रास्ता नही है तथा खेती करना दुर्भर हो रहा है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है।

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.12.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 18 से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया गया एवं रास्ते के बदले में जमीन की वर्तमान दर से भुगतान करने अथवा भूमि के बदले भूमि देने बाबत् निवेदन भी किया गया परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 18 किसी भी स्थिति में अपनी भूमि में से रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु तैयार नहीं है जिसके पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 19 के समक्ष भी रास्ते बाबत् निवेदन किया गया परन्तु अप्रार्थी संख्या 19 द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि वर्णित मद संख्या 1 व आवास में आने जाने एवं काश्त हेतु साधन वगै0 लाने ले जाने व कृषि कार्य हेतु उपयोग उपभोग के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 18 की भूमि खसरा नम्बर 1947, 1925 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार ए से बी मार्क से उत्तर से दक्षिण लगभग 180 मीटर लम्बाई एवं पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 5 मीटर चौडाई की भूमि रास्ते के रूप में उपलब्ध करवाये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 19 को आदेशित करते हुये इसी अनुसार रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 19 को आदेशित कर प्रतिकर राशि प्रार्थीगण को भुगतान करने बाबत् आदेशित करने की कृपा करें।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट नांगल भरडा में पेश हुई। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 7, 13 उपस्थित है। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नांगल भरडा के खाता संख्या 426 में स्थित ख0न0 1905 रकबा 0.08 है0, ख0न0 1927 रकबा 3.32 है0, ख0न0 1930 रकबा 0.48 है0, ख0न0 1931 रकबा 0.14 है0, ख0न0 1932 रकबा 0.27 है0, ख0न0 1933 रकबा 0.03 है0, ख0न0 1935 रकबा 0.08 है0, ख0न0 1936 रकबा 0.35 है0 कुल कि0 8 का कुल रकबा 4.75 है0 है। जिसकी खातेदारी गोपाल पुत्र छीतर हिस्सा 1/3 जाति जाट राहिन ओ0बी0सी0 शाखा चौमूं बाबूलाल पुत्र छीतरमल हिस्सा 1/3 जाति जाट राहिन जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चौमूं, रामधन पुत्र छीतर हिस्सा 1/3 जाति जाट राहिन ओ0बी0सी0 शाखा चौमूं के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता नही है।

प्रार्थी द्वारा ख0न0 1925 रकबा 1.21 है0 एवं ख0न0 1947 रकबा 3.27 है0 में से रास्ता चाहा गया है जिसकी खातेदारी अर्जनलाल, ओमप्रकाश पिता शिवदयाल हिस्सा 1/24 राजू देवी पत्नी शिवदयाल हिस्सा 1/48 सीतादेवी पुत्री शिवदयाल हिस्सा 1/48

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:33:15 IST
Reason: SelfAttested

रहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा चौमूं, कैलाश पुत्र छोटू हिस्सा 1/12 राहिन आर0एम0जी0बी0 शाखा नांगल भरडा, कानी देवी पत्नी जयनारायण हिस्सा 1/72 राहिन आर0एम0जी0बी0 नांगल भरडा, पप्पू, सूरजमल, मुकेश पिता जयनारायण हिस्सा 1/24 राहिन आर0एम0जी0बी0 शाखा नांगल भरडा, सुमन देवी, सुशीला देवी पुत्रीयां जयनारायण हिस्सा 1/36 बिला रहन लाडा देवी पत्नी नाथूराम हिस्सा 1/3 बिलारहन, गणेश, जयनारायण, रामलाल, शंकरलाल, हनुमान पि0 नाथूराम हिस्सा 1/3 बिला रहन, रामकिशोर पुत्र छोटु राम हिस्सा 1/12 बिला रहन समस्त जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मौके व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पास रास्ते का कोई अन्य विकल्प नही है।

ख0न0 1947 की उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे व ख0न0 1925 की उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे से रास्ता चाहा गया है। ख0न0 1947 रकबा 3.27 है0 में से 0.066 है भूमि रास्ते में जायेगी जिसकी लम्बाई 132 मीटर व चौडाई 5 मीटर है। एवं ख0न0 1925 रकबा 1.21 है0 में से 0.024 है0 भूमि रास्ते में जायेगी जिसकी लम्बाई 48 मीटर व चौडाई 5 मीटर है अर्थात कुल 0.09 है0 भूमि रास्ते में जायेगी। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नही है। प्रार्थी के विगत कई वर्षो से रास्ते का कोई विकल्प नही है। रास्ते में जाने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर 1603701/— प्रति हैक्टेयर है।

प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब व तहसीलदार चौमूं द्वारा पेश रिपॉर्ट, नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। प्रा0पत्र संख्या 04/2021 उनवान गोपाल व अन्य बनाम अर्जुनलाल व अन्य में इस न्यायलय के पूर्व आदेश दिनांक 15.12.2021 द्वारा निर्णय पारित किया गया था। जिस पर प्रा0 पत्र संख्या 236/2021 उनवान सुमन देवी व अन्य बनाम गोपाल व अन्य में निर्णय दिनांक 31.07.2023 पारित पत्र प्रा0पत्र संख्या 04/2021 उनवान गोपाल व अन्य बनाम अर्जुनलाल व अन्य में इस न्यायलय के पूर्व आदेश दिनांक 15.12.2021 को पुनरावलोकन हेतु पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये। जिससे पत्रावली पुनः दर्ज किये जाने पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा रास्ता बाबत राजीनामा दिनांक 31.07.2023 मय नक्शा ट्रेस पेश कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम नांगल भरडा पटवार हल्का नांगल भरडा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर राज्य राजस्थान में स्थित हम प्रथम पक्षगण की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1925, 1940, 1947 कुल किता 3 का कुल रकबा 4.8000 हैक्टेयर भूमि प्रथम पक्षगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा द्वितीय पक्षगण की खातेदारी भूमि ग्राम नांगल भरडा तहसील चौमू मे जिला जयपुर मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 1937 रकबा 1.0200 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.0200 हैक्टेयर द्वितीय पक्षगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमे हम दोनो पक्षगण अपनी अपनी खातेदारी भूमियो पर काबिज व काश्त है। तथा उक्त वर्णित भूमियो मे आने जाने हेतू रास्ता नही होने के कारण हम दोनो पक्षगण ने आपसी सहमती व राजी खुशी से प्रथम पक्षगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1947 की उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे व खसरा नम्बर 1925 की उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ता 12 फिट चौडा व 180 मीटर इस प्रकार कुल भूमि 660 वर्गमीटर भूमि का रास्ता निकालने पर सहमती [illegible] कि द्वितीय पक्षगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1927 की सीमा तक रास्ता निकाला गया है जिसमे हम दोनो पक्षगण पूर्णतया सहमत है।

उक्त रास्ते मे कुल भूमि 660 वर्गमीटर गयी है उसमे से द्वितीय पक्षगण 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात 330 वर्गमीटर भूमि प्रथम पक्षगण को आराजी खसरा नम्बर 1937 मे पश्चिम सीमा उत्तर से दक्षिण प्रथम पक्षगण की भूमि के लगवा राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज किया जावे, जिसमे द्वितीय पक्षगण पुर्णतया सहमत है उसमे किसी प्रकार की आपत्ति व ऐतराजी नही की जावेगी तथा उक्त रास्ते का उपयोग, उपभोग दोनो पक्षगण ही करेंगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:53:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

मे कोई भी पक्ष एक दुसरे को आने जाने हेतू मना या आपत्ति नही करेंगे ना ही उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करेंगे ना ही रास्ते की भूमि मे किसी प्रकार से तारबाउन्ड्री नही करेंगे उक्त रास्ते को दुरूस्त व पाक व साफ रखेंगे जिसमे दोनो पक्षगण पुर्णतया सहमत है।

उक्त रास्ते हेतू द्वितीय पक्षगण द्वारा माननीय न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चौमूँ, जयपुर के यहॉ रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 236/21 उनवान सुमन बनाम गोपाल विचाराधीन है जिसको हम दोनो पक्षगण आपसी सहमती से आज नियत तारीख पर राजीनामा प्रस्तूत कर निरस्तारण कर रहे है, उसमे कोई भी पक्षकार किसी प्रकार की आपत्ति व ऐतराजी नही करेगा ।

उक्त रास्ता हम दोनो पक्षगण का शामलाती रास्ता रहेगा व उक्त रास्ते मे द्वितीय पक्षगण अपने हिस्से 1/2 भाग की भूमि जो रास्ते मे गई है उसको प्रथम पक्षगण को आराजी खसरा नम्बर 1937 मे देने के आदेश प्रदान करे। यह है कि उक्त लेख पत्र की शर्तो से हम दोनो पक्षगण व हमारे समस्त वारिसान, नोमिनी, उत्तराधिकारीगण, ऐजेन्ट, पार्वेन्ट आदि पुर्णतया पाबन्ध रहेंगे।

अतः यह रास्ता बाबत राजीनामा हम प्रथम पक्षगण व द्वितीय पक्षगण के मध्य मे पुर्णतया होस हवास के साथ बिना किसी नशे पते के बिना किसी दबाव के पुर्ण सोच, समझ कर चार पाई पेपर पर टाईप करवाकर पढ, सुन, समझ कर सही मानते हुये गवाह के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर कर तहरीर किया है, उपरोक्त राजीनामा अनुसार आदेश प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। जिसमे अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा दिनांक 31.07.2023 मय नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रा0 पत्र स्वीकार कर निर्णय पारित किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब व तहसीलदार चौमूं द्वारा पेश रिपॉर्ट, नक्शा ट्रेस, राजीनाम दिनांक 31.07.2023 मय नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। जिससे प्रा0 पत्र राजीनामा दिनांक 31.07.2023 मय नक्शा ट्रेस के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा मुताबिक राजीनाम दिनांक 31.07.2023 मय नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता कायम करने तथा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के मुआवजा स्वरूप भूमि मुताबिक राजीनाम दिनांक 31.07.2023 मय नक्शा ट्रेस के अनुसार दिये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा दिनांक 31.07.2023 मय नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पालना के लिये तहसीलदार चौमू को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजेश जाखड़
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.02.08 17:53:15 IST
Reason: SelfAttested